न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी–उम्मेदसिह रतनू आर.ए.एस.
प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा:–251 (ए) आरटीए
प्रकरण संख्या:–34/2018

1. पूजा पत्नी रामसिंह जाति माली निवासी सहारणी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

–प्रार्थीया

बनाम

1. इन्द्रपाल
2. भुपसिह
3. रणवीर

} पि0 सरवन जाति जाट निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

4. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी।

–अप्रार्थीगण

उपस्थित–श्री सुभाषचन्द्र गर्ग अधिवक्ता प्रार्थीया
श्री महावीर प्रसाद वर्मा अधिवक्ता अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक :– 28.9.2018

प्रार्थीया पूजा ने अप्रार्थीगण के विरूद्व यह प्रार्थना–पत्र बाबत् रास्ता स्वीकृति के तहत इस न्यायालय में पेश किया कि मुझ प्रार्थीया के नाम से वाकें चक नं0 6 सीडीआर के खाता सं0 122/113 के प0न0 221/239 मु0 22 किलानं0 7,8,13,14,17,18,23,24, 25/3/.190, प0न0 221/240 मु0 45 किला नं0 2 ता 9, 12 ता 16 कुल 5.503 है0 कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

प्रार्थना–पत्र की दफा 2 में वर्णित आराजी प्रार्थीया की खातेदारी आराजी है। प्रार्थीया की खातेदारी आराजी में आने जाने के लिए अर्थात आवागमन के लिए कोई मंजूरशुदा रास्ता नहीं है जिसकी वजह से प्रार्थीया अपनी आराजी में सही ढंग से काश्त नहीं कर सकती। प्रार्थीया को अपनी आराजी में आने जाने के लिए तथा अपनी आराजी को काश्त करने के लिए मंजूरशुदा रास्ता की नितान्त आवश्यकता है। प्रार्थीया, चक नं0 6 सीडीआर के प0न0 221/240 मु0 45 किला नं0 25 में से चालु रास्ता से होकर अपनी कृषि भूमि प0न0 221/240 मु0 45 किला नं0 16 में प्रवेश करती चली आ रही है। उक्त रास्ता प्रार्थीया को अपनी भूमि आवागमन के लिए सबसे नजदीकी रास्ता है। इसलिए प्रार्थीया, अप्रार्थीगण की भूमि चक नं0 6 सीडीआर के प0न0 221/240 मु0 45 किला नं0 25 में पूर्वी दिशा की तरफ उतर से दक्षिण दो बिश्वा चौडा व एक बीघा लम्बा रास्ता स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड अंकन करवाना चाहती है।

प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण से निवेदन किया कि वह प्रार्थना–पत्र की दफा 3 में दर्ज आराजी में से रास्ता स्वीकृत करवाकर गैर0मु0 रास्ता का अंकन करवा देवें तो अप्रार्थीगण कतई इन्कार हो गये। बस यही बिनाय प्रार्थना पत्र है।

उपखण्ड अधिकारी
पदेन सहायक कलेक्टर
टिब्बी

उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थना–पत्र पेश होने पेर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थीया के प्रार्थना–पत्र पर पत्रावली पेशी में ली गई। उक्त प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा

Scanned by CamScanner

अपना जवाब प्रस्तुत किया गया कि हमारे मध्य अब सुलह हो चुकी है व अब हमारे बीच कोई विवाद नहीं रहा है। प्रार्थना–पत्र की दफा 3 में अंकित तथ्य स्वीकार है। हम अप्रार्थीगण की भूमि चक नं0 6 सीडीआर के प0न0 221/240 मु0 45 किला नं0 25 में से होकर प्रार्थीया अपनी भूमि में प्रवेश करती है। हमारी कृषि भूमि चक नं0 6 सीडीआर के प0न0 221/240 मु0 45 किला नं0 25 में से रास्ता मौका पर चालु है। इसलिए हम अप्रार्थीगण की कृषि भूमि चक 6 सीडीआर के प0न0 221/240 मु0 45 किला नं0 25 में से पर्वी दिशा की तरफ उतर से दक्षिण दो बिश्वा व एक बीघा लम्बा रास्ता स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाता है तो हम अप्रार्थीगण को कोई उज्र व ऐतराज नहीं है। जवाब प्रार्थना पत्र शामिल मिसल किया गया शामिल मिसल किया गया।

प्रार्थना–पत्र में रास्ता स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में न्यायालय स्तर पर तहसीलदार टिब्बी को पत्रांक 729 दिनांक 3.7.2018 को जारी कर रिपोर्ट प्राप्त की गई जो उनसे जरिये पत्रांक 846 दिनांक 6.8.2018 से प्राप्त हुई। मुताबिक रिपोर्ट प.नं. 221/241 कि. नं. 1 ता 5 गुजर रहे रास्ता से ही आसानी रहेगी व उक्त प.नं. 221/240 के कि.नं. 25 की पूर्व सीमा में आना–जाना चाहते है व रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित है,दोनों पक्ष सहमत है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट मय नजरी नक्शा व पक्षकारान का शपथ–पत्र की फोटो प्रति संलग्न है।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रस्तावित रास्ता व अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र के मुताबिक प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

बहस सुनी गई। दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी प्रार्थीया व अप्रार्थीगण के नाम अंकित है। उक्त पत्रावली में प्रस्तुत तहसीलदार टिब्बी से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। रास्ता स्वीकृत करवाने में दोनों पक्षकारान सहमत है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर व अप्रार्थीगण की सहमति के आधार पर प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया उपरोक्त विवेचनानुसार स्वीकार किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया, अप्रार्थीगण की सहमति से स्वीकार किया जाता है व अप्रार्थीगण सं0 1 ता 3 की भूमि चकनं0 6 सीडीआर के प0न0 221/240 मु0 45 किलानं0 25 पूर्वी दिशा में उतर से दक्षिण दो बिश्वा चौड़ा व एक बीघा लम्बा रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता का अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को अलग से तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.9.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

([illegible] सिंह [illegible])
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी

Scanned by CamScanner